कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,नैनीताल।

पत्रांकः 226 / आठ–वि0भू0अ0अ0 /　　　　　　　　　　दिनांक 04 / जुलाई 2024

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जमरानी बांध परियोजना के निर्माण हेतु जिला नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल के विभिन्न ग्रामों में कुल 49.471 हे0 नाप भूमि एवं उसमें स्थित मामलों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत प्राप्त अधिसूचना में उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग–3 देहरादून का पत्र सॅख्या 332 / XVIII(3) / 2024 / 02(01)2024 के द्वारा दिनांक 18.06.2024 द्वारा अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत 1–ग्राम तिलवाडी,(रकवा 4.19. 00हे0) 2–ग्राम मुरकुडिया (रकवा 21.626 हे0) 3–ग्राम उद्दुवा (रकवा 3.171 हे0) 4–ग्राम पनियाबोर (रकवा 4.225 हे0) 5–ग्राम गनराड (रकवा 9.416 हे0) ग्राम पस्तोला (रकवा 6.843 हे0) कुल रकवा 49.471 हे0 घोषणा के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा उक्त ग्रामों की भूमि का कब्जा ले लिया जायेगा हितबद्व / प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रतिकर और पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन के दावे जमरानी बॉध परियोजना हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित पुनर्वास नीति –2022 के अनुसार होगे।

4/7/24

(फिंचाराम चौहान)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
नैनीताल।

प्रतिलिपिः–

1–जिलाधिकारी नैनीताल महोदय, को सूचनार्थ प्रेषित।

2–परियोजना प्रबन्धक,05 पी0आई0यू0,जमरानी हल्द्वानी को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है

4–उप जिलाधिकारी नैनीताल ।

5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नैनीताल को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6–जिला सूचना अधिकारी नैनीताल को इस आशय से कि दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

4/7/24

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
नैनीताल।